

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी / अपीलांत

श्री दिलीप कुमार खण्डेलवाल
निवासी सावलाजी मन्दिर गली
मण्डवारा, उड तहसील सिरौही
जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 14 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 24.08.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बी.एल.ओ. द्वारा कोविड काल में उपस्थिति देने पर संस्था प्रधान द्वारा उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं करने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 24.08.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बी.एल.ओ. द्वारा कोविड काल में उपस्थिति देने पर संस्था प्रधान द्वारा उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं करने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर द्वारा उक्त अपील में अपीलांत को सूचना उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए थे, जिसकी पालना में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सु.अ./रेकॉर्ड/2026/45 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा अपीलांत को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोंडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही के स्तर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही